तारीख हुकम
तारीखहुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 04/2020 अनवान श्रीमती धापुदेवी बनाम तहसीलदार

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजीव गांधी सेवा केन्द्र खारिया तला पर जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 11.11.2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र खारिया तला पर पेश हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

11.11.2021

पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र खारिया तला में पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थीया ने इस न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत कर प्रार्थीया के खेत खसरा नं. 837/581 रकबा 30.00 बीघा ग्राम खारिया तला पटवार मण्डल भाड़खा में वादग्रस्त भूमि खरीद के वक्त प्रार्थीया के पति का नाम लोकूमल के स्थान पर घरेलू बोलचाल के हिसाब से राजस्व रेकर्ड में वादीनी के पति का नाम हदाराम दर्ज कर दिया गया जिसे सुधार कर हदाराम के स्थान पर लोकूमल करने हेतु निवेदन किया। आवेदन पंजीयन कर उत्तरदातागण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार, बाड़मेर से मौका प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार, बाड़मेर ने अपने प्रतिवेदन में अंकित किया है, ग्राम खारिया तला खसरा नंबर 837/581 रकबा 30.00 बीघा मे खातेदार का नाम राजस्व रेकर्ड में धापूदेवी पत्नी हदाराम कौम कुम्हार का नाम शुद्व करने के संबंध में जॉच करने पर मौके पर पहूचा एवं रेकर्ड की जॉच करने पर पाया गया कि खसरा नंबर 837/581 की खातेदार धापूदेवी पत्नी हदाराम द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि जरिये भेट पत्र नामान्तरकरण संख्या 465/05.01.2021 के द्वारा अपने पूत्र को बेचान कर दी है। चूंकि खातेदार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बैचान कर दी है अब राजस्व रेकर्ड मे खातेदार धापूदेवी पत्नी हदाराम के नाम मे भूमि नही है। इसलिये खातेदार का नाम शुद्व करने का वाद खारिज योग्य है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट अनुसार खातेदार द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि बैचान कर दी है अब राजस्व रेकर्ड मे खातेदार धापूदेवी पत्नी हदाराम के नाम मे भूमि नही है। इसलिये खातेदार का नाम शुद्व करने का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय मजमेआम में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर